

*I lekftd I j'lk ; kstuk ekeyk ij tul polbz dk; De es 'kifey glus ds fy,  
vihy*

आगामी 2 अगस्त 2011 को आयोजित होने वाली "सामाजिक सुरक्षा योजना के मामलों पर जनसुनवाई" कार्यक्रम की तैयारी प्रारंभ की जा चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय के आयुक्त के राज्य सलाहकार सदस्य एवं जिला प्रशासन पलामू द्वारा आयोजित होनेवाली इस जनसुनवाई में शिकायतकर्ता एवं जनता की उपस्थिति में प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित किया जाएगा। इस निमित्त अनुमण्डल पदाधिकारी छत्तरपुर के साथ प्रथम दौर की वार्ता कर ली गई है। आयुक्त के सलाहकार सदस्य के पत्र के आलोक में उन्होंने अपनी सहमति दे दी है। किन्तु जिला प्रशासन से इस कार्यक्रम के संबंध में दिशा-निर्देश अब तक अप्राप्त होने की बात उन्होंने कही।

कार्यक्रम में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तथा नरेगा में ग्रामीणों की शिकायतों के संग्रहण हेतु साप्ताहिक हाट के दिन छत्तरपुर में व्यापक प्रचार-प्रसार कराया गया है। दिनांक 27 जुलाई 2011 से प्रखण्ड परिसर स्थित सहायता केन्द्र में ग्रामीणों के आवेदन एकल खिड़की प्रणाली से प्राप्त किये जाएंगे। कार्यक्रम की सूचना झारखण्ड मोबाईल समाचार 18001024188 पर भी सुना जा सकता है।

अतः आप सभी लोगों से आग्रह है कि इस कार्यक्रम में अवश्य उपस्थित हों और छत्तरपुर जैसे पिछड़े इलाके में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के जमीनी हकीकत को समझें।

निवेदक

सहायता केन्द्र छत्तरपुर

# *I kekftd I j{kk ; kstuk ds ekeyk ij tul quokbz*

दिनांक 2 अगस्त 2011

स्थान—प्रखण्ड परिसर, छत्तरपुर, पलामू।

साथियो,

सामाजिक सुरुक्षा योजना का लाभ सही तरीके से लाभुकों को सुनिश्चित कराने को लेकर दिनांक 2 अगस्त 2011, दिन मंगलवार को छत्तरपुर, प्रखण्ड कार्यालय परिसर में सुबह 10.30 बजे से जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस जनसुनवाई में संबंधित प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारीगण तथा सर्वोच्च न्यायालय के आयुक्त के राज्य सलाहकार सदस्य उपस्थित रहेंगे। इस दिन शिकायतकर्ता एवं जनता की उपस्थिति में प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाएगा।

अतः छत्तरपुर अनुमण्डल की जनता से निवेदन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जनवितरण प्रणाली (लक्षित जनवितरण प्रणाली एवं अन्त्योदय योजना), आंगनबाड़ी, मध्याह्न भोजन, पेंशन स्कीम (वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग) जननी सुरक्षा योजना आदि से संबंधित किसी भी तरह का शिकायत है तो आगामी 31 जुलाई 2011 तक *I gk; rk d{nz N{kj ij* (जो प्रखण्ड कार्यालय परिसर में अवस्थित होगा) में आवश्यक रूप से दर्ज करा दें और अपने शिकायतों पर सुनवाई के लिए *2 tykbl 2011* को स्वयं जनसुनवाई कार्यक्रम में उपस्थिति सुनिश्चित करें।

*vfkd tkudkjh grw fodkl I g; kx d{nz ds dk; ky; ] N{kj ij ckjk es vFlak fuFu Oku ud ij I i d{ dj{*

जवाहर मेहता 9430126909

जेम्स हेरेंज 9852910778

अरूण (छत्तरपुर) 9471121838

निवेदक

सहायता केन्द्र छत्तरपुर

*vup. My inkf/kdkjh@izk. M fodkl inkf/kdkjh NUKji g ds uke  
tu f'kd; r i=*

(पावती प्राप्ति हेतु कृपया आवेदन 2 प्रतियों में सुपुर्द करें)

(1) शिकायत सं० ..... दिनांक .....

(2) शिकायतकर्ता (नाम) .....

(3) शिकायतकर्ता का पता

गांव ..... पंचायत ..... प्रखण्ड ..... जिला .....

(4) शिकायत संबंधी विषय (*fn; s x; s dks Bd en dk fu'kku yxf;*)

क. जन वितरण प्रणाली- ( )

ख. आंगनबाड़ी- ( )

ग. पेंशन (वृद्धा, विधवा, विकलांग) ( )

घ. मध्याह्न भोजन- ( )

ड. नरेगा- ( )

च. जननी सुरक्षा योजना- ( )

छ. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना- ( )

ज. अन्य ..... ( )

(5) शिकायत का संक्षिप्त एवं स्पष्ट विवरण (*ef; l eL; k D; k g; dc l s g; l eL; k fdl l s  
l x; k r g; v; k f n dk m; y; k t: j d; j*)

(6) क्या उपरोक्त शिकायत को लेकर आपके द्वारा पहले कहीं आवेदन दिया गया था? (यदि हां तो किस अधिकारी के पास और कब)

शिकायतकर्ता का हस्ताक्षर

उपरोक्त शिकायत यदि सामूहिक है तो अन्य ग्रामीणों का हस्ताक्षर पिछले पृष्ठ पर करवायें।